

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 221/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 09.06.2026

थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़

- ज्वैलरी की दुकान में आभूषण बदलकर चोरी करने वाली दो शातिर महिलाएं गिरफ्तार
- चोरी के आभूषण व नकदी बरामद, वारदात के कुछ ही घंटों में रानी की सराय पुलिस को सफलता
- विभिन्न जनपदों में भी दर्ज हैं मुकदमे, पेशेवर ढंग से दुकानों को बनाती थीं निशाना

दिनांक 09.06.2026 को थाना रानी की सराय क्षेत्र के निवासी वादी श्री मनीष वर्मा निवासी चकसेठवल, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी गई कि अज्ञात महिलाओं द्वारा उनकी ज्वैलरी की दुकान पर आकर सोना-चांदी देखने के बहाने छलपूर्वक आभूषण बदल दिए गए तथा एक जोड़ी चांदी की पायल, सोने के बुद/कील, मोती की माला में लगा सोने का लॉकेट आदि चोरी कर लिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रानी की सराय पर मु0अ0सं0 152/2026 धारा 305(A)/318(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। विवेचना एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 09.06.2026 को समय 09:14 बजे कोटिला कट, थाना रानी की सराय क्षेत्र से अभियुक्ता—

- किरण देवी पत्नी जगदीश निवासी कैथोली, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़
- अनारकली पत्नी धर्मेन्द्र निवासी छपरा सुल्तानपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

को गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी

गिरफ्तार अभियुक्ताओं के कब्जे से—

- सफेद धातु (पायल) – 116 ग्राम
- पीली धातु (बुद/कील) – 07 ग्राम
- पीली धातु – 02 ग्राम
- मोती की माला में लगा पीली धातु का लॉकेट – 01 ग्राम
- नकद – ₹1,060/-

बरामद किया गया।

पूछताछ में अभियुक्ताओं ने स्वीकार किया कि वे विभिन्न ज्वैलरी दुकानों पर ग्राहक बनकर जाती थीं तथा आभूषण देखने के दौरान मौका पाकर छोटे आभूषण चोरी कर लेती थीं। चोरी किए गए सामान को बेचकर प्राप्त धनराशि से अपने परिवार का भरण-पोषण करती थीं।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 152/2026

धारा 305(A), 318(4), 317(2), 317(4) बीएनएस

थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास

किरण देवी पत्नी जगदीश

- मु0अ0सं0 152/2026 धारा 305(A)/318(4) बीएनएस, थाना रानी की सराय, आजमगढ़।
- मु0अ0सं0 68/2025 धारा 303/317(2) बीएनएस, थाना भुडकुड़ा, जनपद गाजीपुर।
- मु0अ0सं0 94/2026 धारा 305A/317(2) बीएनएस, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

अनारकली पत्नी धर्मेन्द्र

- मु0अ0सं0 152/2026 धारा 305(A)/318(4) बीएनएस, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

- उ0नि0 सूरज तिवारी, थाना रानी की सराय
- उ0नि0 श्वेता दूबे, थाना रानी की सराय
- म0का0 मोनिका यादव म0का0 निकिता यादव का0 बृजेश कुशवाहा

थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

ऑपरेशन वज्रपात के तहत अपहृता सकुशल बरामद, वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

सिधारी पुलिस की त्वरित कार्रवाई से मुकदमे का सफल अनावरण

पीड़िता की सकुशल बरामदगी, 24 घंटे के भीतर अभियुक्त पुलिस गिरफ्त में

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 03.06.2026 को थाना सिधारी पर लिखित प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि विपक्षी शमशाद उर्फ मुस्कान पुत्र आलम निवासी ग्राम गोपालपुर, पोस्ट गोलाबाजार, जनपद गोरखपुर द्वारा उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 229/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम शमशाद उर्फ मुस्कान पुत्र आलम निवासी ग्राम गोपालपुर, पोस्ट गोलाबाजार, जनपद गोरखपुर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

गिरफ्तारी/बरामदगी का विवरण-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन वज्रपात" अभियान के क्रम में अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं पीड़िता की सकुशल बरामदगी हेतु पुलिस टीम द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में दिनांक 08.06.2026 को उ0नि0 रंजन कुमार साव मय हमराह थाना सिधारी द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त शमशाद उर्फ मुस्कान पुत्र आलम निवासी ग्राम गोपालपुर, पोस्ट गोलाबाजार, जनपद गोरखपुर को क्षेत्र समेंदा, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ से गिरफ्तार किया गया तथा पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त शमशाद उर्फ मुस्कान पुत्र आलम उम्र लगभग 22 वर्ष ने पूछताछ के दौरान अपने द्वारा किए गए कृत्य को स्वीकार किया तथा अपनी गलती के लिए बार-बार क्षमा याचना करते हुए अपना पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की बात कही।

गिरफ्तार अभियुक्त-

शमशाद उर्फ मुस्कान पुत्र आलम पुत्र आलम निवासी ग्राम गोपालपुर, पोस्ट गोलाबाजार, जनपद गोरखपुर, उम्र लगभग 22 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 229/2026

धारा 137(2)/87 बीएनएस

थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रंजन कुमार साव, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
2. का0 मृत्युञ्जय मिश्रा, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
3. रि0का0 मो0 रफीक, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
4. रि0म0का0 अनुपमा मौर्य, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

जनपद पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा तथा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी है।

थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

□ न्यायालय द्वारा निर्गत वारंटों के अनुपालन में 08 वारंटी गिरफ्तार

□ मुबारकपुर पुलिस की प्रभावी कार्रवाई, विभिन्न मामलों में वांछित वारंटियों को भेजा गया न्यायालय

□ एसएसपी आजमगढ़ के निर्देश पर वारंटी गिरफ्तारी अभियान जारी

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार द्वारा चलाए जा रहे वारंटी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री मधुबन कुमार सिंह के पर्यवेक्षण, क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती आस्था जायसवाल के मार्गदर्शन तथा उपाधीक्षक श्री शशि मौलि पाण्डेय के नेतृत्व में थाना मुबारकपुर पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत गिरफ्तारी वारंटों के अनुपालन में दिनांक 09.06.2026 को कुल 08 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी की कार्यवाही के दौरान चौकी प्रभारी कस्बा मुबारकपुर उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा मय हमराह द्वारा निम्नलिखित 06 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया—

1. बद्री प्रसाद पुत्र दुर्गा सोनकर निवासी चिवटही, थाना मुबारकपुर
2. उमेश सोनकर उर्फ विक्की पुत्र बद्री प्रसाद निवासी चिवटही, थाना मुबारकपुर
3. रमेश सोनकर पुत्र बद्री प्रसाद निवासी चिवटही, थाना मुबारकपुर
4. नागेन्द्र सोनकर पुत्र बद्री प्रसाद निवासी चिवटही, थाना मुबारकपुर
5. संगीता सोनकर पत्नी रमेश सोनकर निवासी चिवटही, थाना मुबारकपुर
6. तारा देवी पत्नी बद्री प्रसाद निवासी चिवटही, थाना मुबारकपुर

उ0नि0 धीरेन्द्र नारायण शुक्ल मय हमराह द्वारा—

7. सुदामी देवी पत्नी केदार निवासी ग्राम गुजरपार, थाना मुबारकपुर

तथा उ0नि0 कुलदीप कुमार मय हमराह द्वारा—

8. घमसू पुत्र मुरारी निवासी ग्राम फखरुद्दीनपुर, थाना मुबारकपुर को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारंटियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों में निर्गत गैर जमानती वारंट (NBW) के अनुपालन में कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी के दौरान मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया गया। वारंट से संबंधित विवरण

मु0 नं0 7735/25, धारा 85, 115(2), 352, 351(2) बीएनएस से संबंधित वारंटी

बद्री प्रसाद उमेश सोनकर उर्फ विक्की रमेश सोनकरनागेन्द्र सोनकर

मु0 नं0 10590/24, अ0सं0 NACR-15/02, धारा 323, 504 भादवि से संबंधित वारंटी घमसू पुत्र मुरारी

मु0 नं0 12222/24, अ0सं0 C-2/96, धारा 323, 325, 504 भादवि से संबंधित वारंटी सुदामी देवी पत्नी केदार

माननीय न्यायालय से संबंधित वारंटी

संगीता सोनकर पत्नी रमेश सोनकर

तारा देवी पत्नी बद्री प्रसाद

गिरफ्तार समस्त वारंटियों को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु रवाना किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा, चौकी प्रभारी कस्बा मुबारकपुर

उ0नि0 धीरेन्द्र नारायण शुक्ल

उ0नि0 कुलदीप कुमार

थाना मुबारकपुर पुलिस टीम

थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

साइबर हेल्प डेस्क बरदह की प्रभावी कार्रवाई, साइबर फ्रॉड पीड़ित को 10,000 रुपये वापस दिलाए गए

एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज शिकायत के आधार पर त्वरित कार्रवाई कर पीड़ित को मिली राहत

आजमगढ़ पुलिस की सतर्कता से साइबर अपराधियों पर प्रभावी प्रहार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.08.2025 को संतोष यादव पुत्र राजनाथ यादव निवासी नरवे, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ के साथ अज्ञात साइबर अपराधी द्वारा दोस्त बनकर व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से ₹10,000/- की साइबर ठगी की गई थी। घटना के संबंध में पीड़ित द्वारा एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत संख्या 33108250090092 दर्ज कराई गई थी।

शिकायत प्राप्त होने पर साइबर हेल्प डेस्क थाना बरदह द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए फ्रॉड की धनराशि ₹10,000/- को संबंधित बैंक खाते में होल्ड कराया गया। तत्पश्चात विधिक कार्यवाही एवं मा0 न्यायालय द्वारा पारित फंड रिलीज ऑर्डर के अनुपालन में संबंधित बैंक के नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर पीड़ित के खाते में संपूर्ण ₹10,000/- की धनराशि वापस कराई गई।

धनराशि वापस प्राप्त होने पर पीड़ित द्वारा आजमगढ़ पुलिस एवं साइबर हेल्प डेस्क बरदह का आभार व्यक्त किया गया।

पुलिस टीम-

1. राजीव कुमार सिंह, थानाध्यक्ष बरदह, जनपद आजमगढ़

2. उ0नि0 मनीष सिंह, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

3. म0आ0 आरती सिंह, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

जनपद आजमगढ़ पुलिस साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने हेतु निरंतर प्रतिबद्ध है।

सर्किल नगर जनपद आजमगढ़

□ न्यायालय द्वारा निर्गत वारंटों के अनुपालन में 09 वारंटी गिरफ्तार

□ कोतवाली, सिधारी एवं रानी की सराय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, विभिन्न मामलों में वांछित वारंटियों को भेजा गया न्यायालय

□ एसएसपी आजमगढ़ के निर्देश पर वारंटी गिरफ्तारी अभियान जारी

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा चलाए जा रहे वारंटी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर के मार्गदर्शन में दिनांक 09.06.2026 को क्षेत्राधिकारी नगर परिक्षेत्र के विभिन्न थानों की पुलिस टीमों द्वारा न्यायालय से निर्गत गिरफ्तारी वारंटों के अनुपालन में कुल 09 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी की कार्यवाही के दौरान थाना कोतवाली पुलिस द्वारा निम्नलिखित वारंटी को गिरफ्तार किया गया—

रमेश गौड़ पुत्र पुनवासी गौड़ निवासी मनचोभा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

थाना सिधारी पुलिस द्वारा निम्नलिखित वारंटियों को गिरफ्तार किया गया—

लालबाबू पुत्र तपसी निवासी हलुवाडीह, थाना सिधारी।

गोविन्द पुत्र दशरथ निवासी चकनेवाज उर्फ मिल्कीपुर, थाना सिधारी।

दशरथ पुत्र स्व० गरीब निवासी चकनेवाज उर्फ मिल्कीपुर, थाना सिधारी।

गोलू उर्फ साहेब पुत्र दशरथ निवासी चकनेवाज उर्फ मिल्कीपुर, थाना सिधारी।

गोपी पुत्र दशरथ निवासी चकनेवाज उर्फ मिल्कीपुर, थाना सिधारी।

जियालाल पुत्र दशरथ निवासी चकनेवाज उर्फ मिल्कीपुर, थाना सिधारी।

तथा थाना रानी की सराय पुलिस द्वारा—

रजई शर्मा पुत्र स्व० सिरपत निवासी शाहखजुरा, थाना रानी की सराय।

कलीम पुत्र एकराम निवासी मलिकशाहपुर, थाना रानी की सराय।

को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारंटियों के विरुद्ध मा० न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों में निर्गत गैर जमानती वारंट (NBW) के अनुपालन में कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी के दौरान मा० सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया गया।

वारंट से संबंधित विवरण

□ थाना कोतवाली से संबंधित वारंटी

रमेश गौड़ पुत्र पुनवासी गौड़

□ थाना सिधारी से संबंधित वारंटी

लालबाबू पुत्र तपसी

गोविन्द पुत्र दशरथ

दशरथ पुत्र स्व० गरीब

गोलू उर्फ साहेब पुत्र दशरथ

गोपी पुत्र दशरथ

जियालाल पुत्र दशरथ

□ थाना रानी की सराय से संबंधित वारंटी

रजई शर्मा पुत्र स्व० सिरपत

कलीम पुत्र एकराम

गिरफ्तार समस्त वारंटियों को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

□ थाना सिधारी

उ०नि० बरीनाथ मोर्य

उ०नि० युवराज सिंह

हे०का० सिद्धार्थ शंकर राय

का० ऐश कुमार

□ थाना कोतवाली

उ०नि० जितेन्द्र पाण्डेय

रि०का० जितेन्द्र कुमार

रि०का० सचिन कुमार

□ थाना रानी की सराय

उ०नि० सूरज तिवारी हे०का० सुभाष कुमार

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 09.06.2026 जनपद आजमगढ़

*"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अवैध गांजा रखने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि (12 दिवस) के कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना बरदह में पंजीकृत अपराध जिसमें अवैध गांजा रखने रखने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि (12 दिवस) के कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➔ दिनांक- 06.01.2021 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री संजय सिंह थाना बरदह जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान अभियुक्त सूरज कुमार पुत्र छठठू राम निवासी मुड़हर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 1 किलो 250 ग्राम गांजा बरामद होना।

➔ अभियुक्त के विरुद्ध थाना बरदह पर मु0अ0सं0- 06/2021 धारा-8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया।

➔ अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➔ मुकदमा उपरोक्त में 5 गवाह परीक्षित हुए हैं।

➔ जिसके क्रम में दिनांक- 09.06.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सूरज कुमार पुत्र छठठू राम निवासी मुड़हर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को जेल में बितायी गयी अवधि (12 दिवस) के कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

